FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर ...

जज अदालत .... मुकाम ....

ओगाराम .... बनाम .... हनुमानराम वगैरह

किस्म मुकदमा ...... राजस्व आवेदन ...... नं. ...... 317 ...... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/9/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...... कुम्भाराम चौधरी ...... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...... 111, 128 ...... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...... 29/10/19 ...... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	317 25/9/19
29/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 06/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/11/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। [illegible] बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा [illegible] निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत [illegible] आये हुए हैं प्रार्थी व विप्रार्थीगणों (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

के खेतो के बिच जो पुरानी मेड़ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियो की वजह से बिखर गये है जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की सिमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है इस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। व वर्षात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेत में जबरदस्ती काश्त कर लेते है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की पत्थरबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की पत्थरबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क ज्याकतब रुपये-500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
6.11.2016

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

.कि/वाद/2019/ दिनांकः– 6/11/2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
जोगाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट वगैरा6 निवासी बाटाडु तहसील बायतु जिला बाड़मेर		हनुमानराम पुत्र रतनाराम जाति जाट वगैरा 18 निवासी बाटाडु तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 317/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बाटाडु पटवार हल्का बाटाडु तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1316 रकबा 22.19 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2019/ 904 दिनांकः– 6/11/2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री जोगाराम पुत्र खेराजराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण हनुमानराम पुत्र रतनाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:21:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: